न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 –104 / 2022

1 रणजीत सिह पुत्र भागीरथ जाति सांसी निवासी डबलीकंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम्

1 पूर्णराम उर्फ पन्नाराम पुत्र भागीरथ
2. विजय सिह पुत्र भागीरथ
3. कमला पत्नी रामकरण
4. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

जाति सांसी निवासीयान डबलीकंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री सुभाष गर्ग अधिवक्ता प्रार्थी
श्री मदनसिंह बुरडक अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक: 30/3/26

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चकनं0 7 एम. जैड डबल्यू के खाता सं0 101 /94 में कुल 2.252 है0 में प्रार्थी का 1/5 हिस्सा, अप्रार्थीगण सं० 1,2,3 प्रत्येक का 4/15 हिस्सा आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। फोटो कॉपी जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी संयुक्त खाता में दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी अपने हक व हिस्सा की आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है व अपनी आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाता चला आ रहा है। प्रार्थी के हिस्सा की आराजी का खाता अप्रार्थीगण सं० 1 ता 3 के साथ संयुक्त रहने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य आपस में रकम राज जमा करवाने तथा काश्त के समय सीमा का विवाद बना रहता है इसलिए प्रार्थी अपने हिस्सा की आराजी का खाता अप्रार्थीगण के साथ संयुक्त नही रखना चाहता है व अपने हिस्सा की आराजी का खाता अच्छी मन्दी व रास्ता की सुविधा के अनुसार तकसीम करवाकर रकम राज अलग से कायम करवाने का अधिकारी व दावेदार है। प्रार्थनापत्र की दफा 2 में दर्ज संयुक्त खाता में दर्ज चली आ रही है । अप्रार्थीगण सं० 1 ता 3 आपस में मिलीभगत करके जो कि प्रार्थी की भूमि पर ताकत के बल पर कब्जा करने पर उतारू है तथा मुझ प्रार्थी के हिस्सा की आराजी के कब्जा से बेदखल करने व करवाने पर उतारू है तथा अप्रार्थीगण सं० 1 ता 3 जो कि मुझ प्रार्थी की भूमि का बिना खाता विभाजन करवाये अपने नाम से दर्ज हिस्सा की आराजी में से अच्छी अच्छी भूमि को बैचान करने पर आमादा है तथा अप्रार्थीगण सं० 1 ता 3 मुझ प्रार्थी को ऐलानियां धमकीयॉ दे रहे है कि हम आज कल में ही संयुक्त खाता की भूमि में से अपने हिस्सा की आराजी को बिना खाता विभाजन करवाये औने पौने दामों में बैचान कर मुझ प्रार्थी की भूमि पर अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 मिलकर कब्जा करने पर उतारू है। अगर प्रतिवादीसं0 1 ता 3 प्रार्थनापत्र की दफा 2 मे दर्ज अपने हिस्सा की आराजी

सहायक कलेक्टर
टिब्बी

को बिना खाता विभाजन करवाये अच्छी–अच्छी भूमि को बैचान कर दिया तथा मुझ प्रार्थी की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया तो मुझ प्रार्थी को कभी ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति, तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। ताईद में हल्फनामा प्रस्तुत है । लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा वहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जावे कि चकनं0 7 एम. जैड डबल्यू के खाता सं0 101/94 में कुल 2.252 है0 में अप्रार्थीगण सं0 1,2,3 प्रत्येक अपने 4/15 हिस्सा की आराजी को बिना खाता विभाजन करवाये किसी तरह से रहन, वैय तथा अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करने व अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 मुझ प्रार्थी की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने तथा मुझ प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार से दखलन्दाजी करने व प्रार्थी के उपयोग व उपभोग में बाधा कारित करने से ताफैसला दावा ममनू व बाज रहे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत होना स्वीकार है, लेकिन प्रार्थी द्वारा मुकदमा गलत तथ्यों के साथ व तथ्यों को छुपाते हुए पेश किया है जिस कारण से प्रार्थी का मुकदमा प्रथम दृष्टया काबिले खारीजी के है। प्रार्थनापत्र की दफा 2 आराजी विवरण चक 7 एम. जैड डबल्यू के खाता सं0 101 / 94 में कुल 2. 252 है0 आराजी में हम अप्रार्थीगण सं0 1, 2, 3, प्रत्येक का 4/15 हिस्सा दर्ज होना स्वीकार है । मुताबिक जमाबन्दी आराजी विवरण निम्न प्रकार से है:– 7 एमजैड डबल्यू खाता सं0 101/94 प०न० 186/372 मु० 30 किलानं0 1 /2/.026 है0 गै०मु० खाला, 1/3/.202 कमाण्ड, 2/1/ .228 कमाण्ड,2/2/.025 है0 गै०मु० खाला, 3/1/.228 है0 3/2/.025 है0 गै०मु० खाला, 4/1/.228, 4/2/.025 0 गै०मु० खाला, 5/1/.228, 5/2/.025 है0 गै०मु० खाला, 6,7,8,9 प्रत्येक 253 है0 कुल 2. 252 है0 कमांड मय गै०मु०

प्रार्थना पत्र की दफा 3 में तथ्य आराजी संयुक्त खाता की होना स्वीकार है। पक्षकारान मुताबिक हिस्सा काबिज काश्त है व हम अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से अनुसार रकम राज जमा करवाते आ रहे है, शेष कथन गलत होने के कारण अस्वीकार है।प्रार्थी ने तथ्यों को छुपाकर वाद पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने आज से कदीम अर्सा पूर्व घरा घरू बटवारा कर अलग अलग किलेजात में कब्जा काश्त कर रहे है। मुताबिक घरा घरू बटवारां मय गैर मुमकिन व रास्ता की जगह काटकर निम्नानुसार कब्जा काश्त कर रहे है उसी अनुसार खाता विभाजन करवाने के अधिकारी व दावेदार है मुताबिक हक हिस्सा कब्जा काश्त अप्रार्थीगण को प्राप्त आराजी निम्न प्रकार से है:–

क. अप्रार्थी सं० 1 पन्नाराम उर्फ पूर्णराम का हिस्सा:– चकनं0 7 एम. जैड डबल्यू के प०न० 186/372 मु० 30 किलानं0 1/2/026 है0 गै०मु० खाला, 1/3/.189 है0, 2/1/ .215, 2/2/.025 है0 गै०मु० खाला, 3/1/.150 है0,

ख.अप्रार्थी सं0 2 विजयसिह का हिस्सा:– चकनं0 7 एम. जैड डबल्यू के प0न0 186/372 मु0 30 किलानं0 5/2/.025 है0 गै०मु० खाला, 5/3/.095 है0, 6/.253, 7/1/.206 है०

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर दिव्बी

ग. अप्रार्थीया सं0 3 कमला का हिस्साः— चकनं0 7 एम. जैड डबल्यू के प0न0 186/372 मु० 30 किलानं0 3/2/.025 है0 गै०मु० खाला, 7/2/.047 है0, 8, 9/.0506 है0

घ. प्रार्थी रणजीत का हिस्साः— चकनं0 7 एम. जैड डबल्यू के प0न0 186/372 मु0 30किलानं0 3/4/.065, 4/1/.215, 4/2/.025 है0 गै०मु० खाला, 5/1/.133 है0,

प्रार्थनापत्र की दफा 4 गलत व असत्य होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा दर्ज कथन कि अप्रार्थीगण कृषि भूमि का बिना खाता विभाजन करवाये अपने नाम दर्ज हिस्सा की आराजी में से अच्छी अच्छी भूमि बैचान करने पर आमादा है, कतई गलत है। हम अप्रार्थीगण ने कोई ऐलानियॉ धमकी नही दी है, शेष कथन गलत होने के कारण अस्वीकार है । प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन हम अप्रार्थीगण के खिलाफ प्राप्त करने का कोई अधिकार नही है । प्रार्थी ने बदयान्ति पूर्वक मुताबिक हिस्सा व कब्जा काश्त आराजी का विवरण नही दिया है। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर हम अप्रार्थीगण के खिलाफ एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है जिससे हम अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति हो रही है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति, तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में न होकर हम अप्रार्थीगण के पक्ष में है । ताईद में हल्फनामा प्रस्तुत है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दिनांक 14.12.2022 को जारी एकपक्षीय स्थगन आदेश को खारीज फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, का अवलोकन किया गया हस्तगत प्रकरण में वादभूमि प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण स0 1 ता 3 की संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है, उक्त खातेदारी के खाता विभाजन हेतु अन्तर्गत धारा 53,188 आरटीए वाद न्यायालय हाजा में जैरकार है जिसमें साक्ष्य सबूतो एंव गुणावगुण के आधार निर्णय पारित किया जाना है। इस प्रकम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी करना उचित नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष में है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है।

प्रथम दृष्टया मामलाः— प्रकरण में विवादित आराजी संयुक्त खाता की भूमि है उक्त भूमि में प्रार्थी स0 1 का 1/5 हिस्सा एंव अप्रार्थी स0 1 व 3 प्रत्येक का 4/15 हिस्सा खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकोर्ड है। चूंकि अप्रार्थीगण भी विवादित आराजी में रिकोर्डेड खातेदार है। जिन्हे पूर्णतया अस्थाई निषेधाज्ञा से यदि पाबंद किया जाता है तो उनके अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव पडने की पूरी पूरी संभावना है। चूंकि अप्रार्थीगण संयुक्त खाता से किसी विशिष्ट भू भाग का बेचान करते है तो प्रार्थी के अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव पडने की संभावना है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला उभयपक्ष के पक्ष में साबित है।

सुविधा का संतुलनः— चूंकि अप्रार्थीया ने है अप्रार्थीगण भी विवादित आराजी के अभिलिखित खातेदार काश्तकार है प्रार्थीया के हक हिस्सो व खाता विभाजन बिन्दु का

खण्ड अधिकारी
न सहायक कलेक्टर
दिल्ली

निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य सबूतो एंव गुणावगुण के आधार पर तय होना है यदि उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है अप्रार्थीगण को अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग उपभोग में असुविधा होगी इसलिए सुविधा का संतुलन भी आंशिक अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

अपूर्णीय क्षतिः– चूंकि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने के कारण अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 212 आरटीए आंशिक स्वीकार की जाकर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे संयुक्त खाता की आराजी में विशिष्ट किलो को रहन बैय अन्तरित नही करेगे व लेकिन अपने हिस्सा की आराजी को रहन बैय करने के लिए स्वतंत्र रहेगे।

यह निर्णय आज दिनांक 30/3/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी

उपखण्ड अधिकारी व पदेन सहायक कलक्टर